

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग—१
संख्या: १३६३/VII-१/२०१८/४२ ख/१८
देहरादून :दिनांक: ६५ जून, २०१८

पुलाई

आशय पत्र (Letter of Intent)

अधिसूचना संख्या—1582/VII-१/२०१७/३१ ख/१७, दिनांक ३१ अक्टूबर, २०१७ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, २०१७ के प्रावधानान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम देवता रेज ढडियार, कक्ष सं० बसला-१ के क्षेत्रान्तर्गत ०.४४ है० में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या—७६/ई०निवि०सहई नीला०/भू०खनि०ई०/२०१७-१८, दिनांक २८ मार्च, २०१८ एवं प्रकाशित आमंत्रण प्रपत्र संख्या—०१८_Uttarkashi_Devta Range Thadiyar Basla-१_Mori_०.४४ha/ई०निवि०सहई० नीला०/२०१७-१८, दिनांक ३० मार्च, २०१८ के क्रम में उक्त नियमावली, २०१७ के नियम २८.ग (द्वितीय चरण) के उपनियम ५ के प्रावधानानुसार श्री जगदीप सिंह राणा पुत्र श्री जगमोहन सिंह राणा, निवासी ग्राम व पोस्ट आराकोट, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली रु० ५,६१,५६१.०० (रु० पांच लाख इक्सठ हजार पांच सौ इक्सठ मात्र) के आधार पर H1 घोषित किया गया है।

२. श्री जगदीप सिंह राणा को उक्त नियमावली के नियम २८.क के उपनियम—१ के प्रावधानानुसार बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रु० ५,६१,५६१.०० (रु० पांच लाख इक्सठ हजार पांच सौ इक्सठ मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि रु० ५६,१५६.०० (रु० छप्पन हजार एक सौ छप्पन मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किये जाने, विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून में जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित माना गया है। उक्त नियमावली के नियम २८.क के उपनियम—३ के प्रावधानानुसार श्री जगदीप सिंह राणा द्वारा उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रु० ५६,१५६.०० (रु० छप्पन हजार एक सौ छप्पन मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, २०१७ के प्रावधानानुसार श्री जगदीप सिंह राणा पुत्र श्री जगमोहन सिंह राणा, निवासी ग्राम व पोस्ट आराकोट, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम देवता रेज ढडियार, कक्ष सं० बसला-१ के क्षेत्रान्तर्गत ०.४४ है० में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु ०५ वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु ०६ माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

- (१) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, २००१ के नियम—१७ के प्रावधानानुसार सीमाबन्धन कराये जाने, खनन योजना अनुमोदित कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही ०६ (छ.) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।
- (२) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि रु० १,४०,३९०.२५ अर्थात् १,४०,३९०.०० (रु० एक लाख चालीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) "धरोहर धनराशि (Security Money)" समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री-बिड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेतर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (३) स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) २०१७ के नियम २९(क)(१) के अनुसार उपखनिज चुगान कार्य अधिकतम १.५ मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

- (4) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेन्सड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
- (5) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर०क्य०पी० से खनन योजना तैयार कराकर व खनन योजना अनुमोदन शुल्क रु० 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
- (6) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार के ई०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
- (7) पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
- (8) राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में, तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार, दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एनबी०डब्ल्य०एल० की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
- (9) उत्तराखण्ड शासन, मा० न्यायालयों एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (10) सफल बोलीदाता/प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
- (11) राज्य में अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिये जाते हैं, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 है० पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिक्रमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है० से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।
- (12) खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध

- करायी जायेगी, जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।
- (13) (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (ख) पचास हैकटेयर तक के क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र का छः माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के ऑन लाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छः माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा, किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेतर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई-नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रेतर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।
- (14) आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन किये जाने के उपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश ऑन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।
- (15) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी।
- (16) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागीय अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (17) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (18) ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उपखनिज की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।

- (19) खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु सं० 18 के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।
- (20) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमाकंन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमाकंन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज-05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2×2 फिट की चौड़ाई जी०पी०एस० रिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।
- (21) पट्टा विलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियायें का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (22) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रेततर कार्यवाही के संबंध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्णय लिया जायेगा।


आनन्द बद्धन
प्रमुख सचिव

संख्या: १३८३(१)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०-514/ई०-निवि०सहई-नीला०/भू०खनि०ई०/उत्तरकाशी/2018-19, दिनांक 1 जून, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री जगदीप सिंह राणा पुत्र श्री जगमोहन सिंह राणा, निवासी ग्राम व पोस्ट आराकोट, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव